

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल

:: आदेश ::

दिनांक ०८.06.2016

क्रमांक १३०६/२१-अ(स्था.)/गोप./२०१६, विभागीय आदेश क्र. १११८/२१-अ(स्था.), दिनांक २९.०२.२०१२ और आदेश क्र. १२२४/२१-अ(स्था.), दिनांक २०.०२.२०१४ के अनुक्रम में विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थ निम्नलिखित शासकीय सेवकों की दो वर्ष की परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप, स्थायी पद उपलब्ध होने से उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गये पद एवं स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उनका स्थायीकरण किया जाता है:-

क्र.	नाम	पदनाम	वर्तमान पद स्थापना
(१)	(२)	(३)	(४)
१.	श्री योगेन्द्र सिंह राजपूत	सहायक ग्रेड-३	महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर
२.	श्री चर्तुभुज शर्मा	सहायक ग्रेड-३	अति. महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर
३.	श्री इन्दर सिंह विश्वैया	सहायक ग्रेड-३	महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर
४.	श्री अनिल सिंह भदौरिया	सहायक ग्रेड-३	विधि विभाग, भोपाल

टीप- उपरोक्त शासकीय सेवकों की आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष पश्चात् नियमानुसार देय होगी तथा स्थायीकरण किये जाने से वर्तमान संवर्ग की वरियता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

हस्ता/-

(विरेन्द्र सिंह)

प्रमुख सचिव,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

पृ.क्र. १३९६/१७१४/२१-अ(स्था.)/गोप./२०१६,

भोपाल, दिनांक ०८.०६.२०१६

प्रतिलिपि:-

१. महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर/अति. महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर,
२. अनुभाग अधिकारी, स्थापना शाखा/आहरण एवं संवितरण अधिकारी,
३. संबंधित शासकीय सेवक,
४. संबंधित लिपिक/पे-बिल/सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती की ओर प्रविष्टी हेतु एवं आई.टी. प्रकोष्ठ की ओर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(आर.के. वर्मा) १६११६
सचिव,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

Q